न्यायालय:—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म०प्र०) (पीठासीन अधिकारी—धन कुमार कुड़ोपा)

<u>दांडिक0प्र0क0-830 / 14</u> <u>संस्था0दि0 11 / 11 / 14</u> फाई लन.233504000042014

मध्य प्रदेश शासन द्धारा आरक्षी केन्द्र, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

____<u>अभियोजन</u>

-: विरूद्ध:-

- 1. सुखलाल उर्फ अजय पिता गिरधारी मेहरा, उम्र 26 वर्ष,
- 2. गिरधारी पिता जुगन मेहरा, उम्र 65 वर्ष,
- मंगरोबाई उर्फ शांतिबाई पित गिरधारी मेहरा, उम्र 40 वर्ष, उक्त सभी–नि0ग्राम ढूटमूर, थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)।
- 4. सोनीबाई पति शिवलाल मेहरा, उम्र 25 वर्ष, नि0 राजेन्द्र नगर, सारणी, थाना सारणी, जिला बैतूल (म०प्र०)

--- अभियुक्तगण

<u>—: **निर्णय :—** (आज दिनांक 22 / 11 / 2016 को घोषित)</u>

- 1— अभियुक्तगण के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा 498 "ए" एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा—4 के तहत् अभियोग है कि आपने शादी के एक साल बाद से दिनांक 27/04/09 से एक साल बाद से आज तक ग्राम ढूटमूर, थाना आमला प्रार्थीया का खेत मकान, थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र० के अंतर्गत श्रीमती लालवतीबाई जो कि आप अभियुक्त सुखलाल उर्फ अजय की पत्नी, उसके पिता गिरधारी की बहू, उसकी मॉ भगतोबाई की बहू है, उसकी बहन सोनीबाई की भाभी, उसके साथ कुरता की। आप सह अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी के माता पिता व रिश्तेदार से प्रत्य क्ष या परोक्षतः रूप से दहेज मांगने के लिएशास्ति कर दुष्प्रेरित किया।
- 2— दिनांक 21/11/16 को अभियुक्तगण और फरियादी लालवतीबाई के बीच राजीनामा होने से अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0दं0वि० की धारा—323/34 का अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया।
- 3— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ग्राम ढूटमूर रहती है तथा मजदूरी करती है। उसकी शादी दिनांक 27/04/09 को हिन्दू रिति रिवाज से ग्राम ढूटमूर के अजय उर्फ सुखलाल के साथ हुई थी। उसकी शादी में उसके माता पिता ने उनकी हैसियत अनुसार दान दहेज दिया था। शादी के एक साल तक पित अजय उर्फ सुखलाल मेहरा, ससुर गिरधारी मेहरा, सास मंगतोबाई तथा ननद सोनी नि0 सारणी ने ठीक से रखा, बाद में उसका पित और ससुराल पक्ष उससे 50,000/—रूपये एवं मोटर साईकिल मायके से लाने की मांग लगातार करते और उससे मारपीट करने लगे तथा सभी ससुराल

पक्ष के लोग कहते थे कि इसके पिता ने दहेज में कुछ भी नहीं दिया है कि बात कहकर झगड़ा करते थे और लगातार उसे सभी ससुराल पक्ष के शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। यह सारी बात उसने उसके माता पिता भाई कमलेश को बताई थी पित एवं ससुराल पक्ष के सभी परिवार ने समझाया, परंतु नहीं माने उसे लगातार दहेज को लेकर प्रताड़ित करते थे।

- 4— फरियादी की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की गई जो प्र0पी० 1 है। जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 732/14 भा.द.सं धारा—498 "ए", 323 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा— 3, 4 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 13/09/14 को नक्शा मौका प्र0पी० 2 तैयार किया गया। दिनांक 20/09/14 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी. 3 तैयार किया गया, फरियादी का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया, अभियुक्तगण को गिरफ्तार गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।
- 5— अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्तगण का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वे निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

6— : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :--

1—''क्या आपने शादी के एक साल बाद से दिनांक 27/04/09 से एक साल बाद से आज तक ग्राम ढूटमूर थाना आमला प्रार्थीया का खेत मकान, थाना आमला जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत श्रीमती लालवतीबाई जो कि आप अभियुक्त सुखलाल उर्फ अजय की पत्नी उसके पिता गिरधारी की बहू उसकी मॉ भगतोबाई की बहू है, उसकी बहन सोनीबाई की भाभी, उसके साथ कुरता की।

2— ''क्या आप सह अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी के माता पिता व रिश्तेदार से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज मांगने के लिएशास्ति कर दुष्प्रेरित किया?''

—ः <u>निष्कर्ष एवं उसके आधार</u>ः— विचारणीय प्रश्न क0 1, 2 का निराकरण

- 7— सुविधा की दृष्टि से विचारणीय प्रश्न कं. 1, 2 का निराकरण साथ में किया जा रहा है। क्योंकि प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हों।
- 8— अभियोजन साक्षी लालवतीबाई (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि शादी के बाद से घरेलु बातों को लेकर उसका आरोपीगण से वाद विवाद होता था। घरेलु बात को लेकर आरोपीगण ने उसके साथ ग्राम ढूटमूर स्थित उसके ससुराल में एक राय होकर उसके साथ मारपीट की थी जिससे उसे उंगली में चोट आई थी। आगे इस गवाह ने बताया कि आरोपीगण ने उससे दहेज की कोई मांग नहीं की थी न ही दहेज की मांग को

लेकर उसके साथ मारपीट की गई थी। आरोपीगण ने उसे कभी भी दहेज की मांग को लेकर उसे कभी भी शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित नहीं किया था। उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना आमला में की थी जो प्र0पी0 1 है जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस घटना स्थल पर आकर मौका नक्शा प्र0पी0 2 तैयार किया था जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उससे शादी की दहेज की सूची जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी0 3 तैयार किया जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर है। शासन की ओर इस गवाह को पक्षविरोधी घोषित करने पर इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपीगण उसे शादी में दहेज कम लाने की बात को लेकर ताने मारते थे। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि आरोपीगण उससे दहेज में 50 हजार रूपये एवं मोटर साईकिल क मांग करते थे।

- आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि दहेज की मांग को लेकर आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की थी एवं उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 का बी से बी भाग एवं पुलिस कथन प्र0पी0 4 का ए से ए भाग का बयान दी थी। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसने उसकी मर्जी से बिना डर दबाव के राजीनामा हो गया है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में यह स्वीकार किया है कि उसका आरोपीगण से उसकी मर्जी से बिना डर दबाव के राजीनामा हो गया है। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि वह उसके पति एवं परिवार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है वह न्यायालय की समझाईश के बाद दो माह से उसके पति के साथ उसके ससुराल में रह रही है, अब उसके संबंध मधुर हो गये है। यह गवाह स्वयं फरियादी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में आरोपीगण के द्वारा उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर कुरता कारित करने तथा फरियादी से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज मांगने के लिए शास्ति कर दुष्प्रेरित किया, वाली बात नहीं बताई है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य के मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भा0दं0वि० की धारा ४९८ ''ए'' एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा- 4 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।
- 10— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी को शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क़ुरता की। उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी के माता पिता व रिश्तेदार से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज मांगने के लिए शास्ति कर दुष्प्रेरित किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1, 2 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।
- 11— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्धारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर कुरता कारित की। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्धारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह भी प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी के माता पिता व रिश्तेदार से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज मांगने के लिए शास्ति कर दुष्प्रेरित किया। इस प्रकार अभियुक्तगण अजय उर्फ सुखलाल, गिरधारी, मंगतोबाई, सोनीबाई को भा0द0वि0 की धारा—498 "ए" एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा—4 के अपराध के

आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12— अभियुक्तगण के धारा—313 द०प्र०स० के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्तगण का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

13— प्रकरण में जप्त शुदा सामाग्री दहेज की सूची मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का निर्णय/आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं

मेरे बोलने पर टंकित।

दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म०प्र0 (धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0